रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 10 अक्तूबर, 1975
आश्विन 18, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 1437/सत्रह-वि-1-63-75
लखनऊ, 10 अक्तूबर, 1975

Cir. m. l

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 31, 1975) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31, 1975]

(भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 कहलायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।

घोषणा

2--एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 में शब्द "प्रतिकर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "नियत प्राधिकारी" और शब्द "प्रतिकर निर्धारण तालिका" के स्थान पर शब्द "निर्धारण तालिका" का रखा जाना

3--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,--

(क) शब्द "प्रतिकर अधिकारी" जहां कहीं आये हों, उनके स्थान पर शब्द "नियत प्राधिकारी" रख दिये जायें;

(ख) शब्द "प्रतिकर निर्धारण तालिका" जहां कहीं आये हों, उनके स्थान पर शब्द "निर्धारण तालिका" रख दिये जायें।

धारा 2 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (2) में, शब्द "उत्तराखण्ड मण्डल और कुमायूं मण्डल (डिवीजन)" के स्थान पर शब्द "कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल" रख दिये जायें, और 20 दिसम्बर, 1968 से रखे गये समझे जायें।

धारा 3 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 3 में--

(क) खण्ड (8) में, शब्द "पपीता, केला या अंगूर की लतायें" के स्थान पर शब्द "अमरूद, पपीता, केला या अंगूर की लतायें" रख दिये जायं और 8 जून, 1973 से रखे गये समझे जायें;

(ख) खण्ड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और 8 जून, 1973 से रखा गया समझा जाय, अर्थात्:--

"(11) 'सिंचित भूमि' का तात्पर्य धारा 4 क में निर्धारित रीति से इस रूप में अवधारित भूमि से है।"

धारा 5 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

(क) उपधारा (6) में, उसके प्रथम स्पष्टीकरण में, वर्तमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्--

"(क) किसी वाद या कार्यवाही में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति को सह-खातेदार के रूप में घोषित किया जाना, भले ही ऐसा वाद या ऐसी कार्यवाही 24 जनवरी, 1971 को विचाराधीन थी अथवा उसके पश्चात् संस्थित की गई थी।";

(ख) उपधारा (7) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड का खण्ड (क) निकाल दिया जाय;

(ग) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(8) उपधारा (6) तथा (7) में किसी बात के होते हुए भी किसी भी खातेदार को अपने विषय में अतिरिक्त भूमि के अवधारण करने के लिये कार्यवाही पर्यन्त अपने खाते की किसी भूमि का अन्तरण करने का अधिकार न होगा, और इस उपधारा के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि अतिरिक्त भूमि के अवधारण की कार्यवाही धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के दिनांक को प्रारम्भ हुई और उस दिनांक को समाप्त हुई, जब कि ऐसे खातेदार के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन या, धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन या, यथास्थिति, धारा 13 के अधीन आदेश दिया जाय।";

धारा 6 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 6 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और--

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण--उपधारा (1) के खण्ड (च) की कोई बात उस उपधारा के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट गोचारण के सम्बन्ध में लागू न होगी।";

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायें, अर्थात्:--

"(2) कोई व्यक्ति राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना उपधारा (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) या खण्ड (छ) में निर्दिष्ट किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा, और ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक अन्तरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, शून्य होगा।

(3) किसी भूमि को, जो किसी ऐसे अन्तरण का विषय हो जो उपधारा (2) के आधार पर शून्य है, अतिरिक्त भूमि समझा जायगा, और वह उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारम्भ के दिनांक से, समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो

जायगी, और उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा ।

(4) जहां कोई भूमि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि समझी जाय--

(1) वहां धारा 14 की उपधारा (8) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि हो;

(2) धारा 17 के अधीन उसके लिए देय राशि उस व्यक्ति को दी जायगी जिसके पक्ष में ऐसा अन्तरण करना तात्पर्यित हो ।"

धारा 9 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के लागू होने के पश्चात् किसी समय नियत प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसे खातेदार से जिसके पास उक्त अधिनियम के लागू होने पर उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नियत प्राधिकारी को उक्त नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण या उससे सबन्धित कोई सूचना प्रस्तुत करे ।"

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ाई जाय, अर्थात् :--

"(2-क) प्रत्येक खातेदार जिसके पास 24 जनवरी, 1971 को या उसके पश्चात् किसी समय अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, जिसने उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत न किया हो और जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही विचाराधीन न हो, इसके प्रारम्भ होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर नियत प्राधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें--

(क) 24 जनवरी, 1971 को उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत,

(ख) 24 जनवरी, 1971 और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारम्भ के बीच उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित या निस्तारित,

समस्त भूमि का ब्योरा दिया जायगा ।"

धारा 12-क का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 12-क में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,--

(1) खण्ड (ग) में शब्द "किसी बैंकिंग कम्पनी" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 में खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी बैंक" रख दिये जायें, और 31 मार्च, 1975 से रखे गये समझे जायें ;

(2) खण्ड (घ) में, उप खण्ड (1) में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय, और सदैव से रखा गया समझा जाय ।

धारा 14 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 14 में--

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसी समस्त अतिरिक्त भूमि समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जायगी और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से संबद्ध हो जायगा ।"

(ख) उपधारा (3), (4), (5), (6) तथा (7) निकाल दी जायं ;

(ग) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :--

"(8) कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी समय अतिरिक्त भूमि पर खातेदार या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह भूमि हो, बेदखल करने के पश्चात् कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या घोषित किये जाने की संभावना हो, और तदुपरान्त ऐसी भूमि पर उपधारा (2) के उपबन्ध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अतिरिक्त भूमि पर लागू होते हैं ।"

नई धारा 16 का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

अतिरिक्त भूमि के उपयोग तथा अध्यासन के लिए क्षति-पूर्ति

"16—यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक पर या उसके पश्चात् किसी खातेदार के पास उस पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो वह खातेदार जुलाई, 1973 के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिये धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन कलेक्टर द्वारा उक्त अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिए जाने के दिनांक तक, या उस दिनांक तक जब खातेदार उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन कलेक्टर को स्वेच्छा से कब्जा दे, जो भी पहले हो, उसके उपयोग और अध्यासन के लिए राज्य सरकार को उस प्रतिकर का देनदार होगा, जो नियत किया जाय।"

धारा 17 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(क) अध्याय 3 के शीर्षक सहित पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात् :—

"(2) खातेदार का शिकमी काश्तकार या असामी, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार को देय राशि में से एक भाग पाने का हकदार होगा और उसे वह दिया जायगा। शिकमी काश्तकार या असामी को देय राशि का भाग उसके अधीनवर्ती स्वत्व की अव्यतीत अवधि के लिए मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी किसी भी दशा में, खातेदार को देय राशि के एक चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा। वह राशि खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच नियत प्राधिकारी द्वारा विभाजित की जायगी।";

(घ) उपधारा (3) में शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय।

धारा 17-क का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 17-क में—

(क) उसके पार्श्व शीर्षक सहित खण्ड (1) और (2) में शब्द "प्रतिकर", जहां कहीं आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय ;

(ख) खण्ड (3) में, शब्द "प्रतिकर धारा 17 के अनुसार दिया जायगा" के स्थान पर शब्द "राशि धारा 17 के अनुसार दी जायगी" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें।

धारा 17-ख का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 17-ख में—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "कतिपय मामलों में प्रतिकर लौटाया जाना" के स्थान पर शब्द "कतिपय मामलों में राशि का लौटाया जाना" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "दिये गये प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि या, जैसी भी दशा हो, आनुपातिक धनराशि" के स्थान पर शब्द "उसको दी गयी संपूर्ण राशि या, जैसी भी दशा हो, उसका अनुपातिक भाग" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं।

धारा 18 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 18 में, शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन देय प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "धारा 17 के अधीन देय राशि" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं।

धारा 19 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन प्रतिकर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन देय राशि" रख दिये जायं और सदैव से रखे दिये गये समझे जायं।

धारा 22 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 22 में—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्:--

"(2) राशि उस दिनांक से देय होगी, जिस दिनांक को धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन भूमि पर कब्जा किया जाय और जब राशि पाने के हकदार व्यक्ति को विभिन्न भूमि पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर किया जाय तो ऐसे दिनांकों में अन्तिम दिनांक से देय होगी, और वह उस राशि के अवधारण के दिनांक से देय होगी";

(घ) उपधारा (3) में--

(1) शब्द "इस अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "धारा 17 के अधीन अवधारित राशि" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं;

(2) शब्द "प्रतिकर दातव्य होने के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "ऐसी राशि देय होने के दिनांक से" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं ;

(ङ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्:--

"(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त करेगा, किन्तु उस व्यक्ति के प्रति जिसे इस प्रकार भुगतान किया जाय, उक्त राशि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

धारा 23 का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 23 में--

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय;

(ख) शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय।

धारा 27 का संशोधन

19--मूल अधिनियम की धारा 27 में--

(1) उपधारा (3) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) और (2)" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) तथा (3)" रख दिये जायें;

(2) उपधारा (6) में--

(क) शब्द "ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ से पांच वर्ष के भीतर" रख दिये जायें;

(ख) शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायें;

(3) उपधारा (7) में, शब्द "गजट में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर शब्द "विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले सामान्य या विशेष आदेश द्वारा" रख दिये जायें।

धारा 29 का संशोधन

20--मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द "और तदनुसार इस प्रकार पुनः अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि जो उसके द्वारा धृत होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहरित की जाने योग्य होगी" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा अंक रख दिये जायं, अर्थात्:--

"और तदनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध, धारा 16 को छोड़कर, आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

धारा 35 का प्रतिस्थापन

21--मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"35--(1) कोई भी जो--

(क) धारा 9 की उपधारा (2) या धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विवरण या धारा 38-क की उपधारा (1) के अधीन शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विवरण देता है या प्रस्तुत करता है या दस्तावेज में कोई सूचना देता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का कारण उसके पास है; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश का अन्यथा उल्लंघन करता है; या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का कब्जा लेने में किसी व्यक्ति को रुकावट डालता है;

तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या अर्थ-दण्ड से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जहां कलेक्टर ने धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया है और कोई व्यक्ति तत्पश्चात् किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है तो वह व्यक्ति कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक का हो सकता है या अर्थ-दण्ड से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराने वाला कोई न्यायालय उस व्यक्ति को सरसरी तौर पर बेदखल करने का आदेश दे सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, बेदखल कर दिया जायगा।"

धारा 38 का संशोधन

22--मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (2) में, शब्द "किसी व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज)" के स्थान पर शब्द "किसी अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

नई धारा 38-क और 38-ख का बढ़ाया जाना

23--मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:--

"38-क--(1) जहां नियत प्राधिकारी या अपील न्यायालय इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक समझे, वहां वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर किसी खातेदार से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में ऐसा विवरण, जैसा नियत किया जाय, शपथ-पत्र द्वारा प्रस्तुत करे।

खातेदार से भूमि का विवरण मांगने की शक्ति

(2) खातेदार की अतिरिक्त भूमि के अवधारणार्थ उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत भूमि के विवरण पर विचार किया जा सकता है।

38-ख--इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही में या किसी वादपद पर (जिसके अन्तर्गत कोई आदेश, डिक्री या निर्णय भी है) इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी निष्कर्ष या विनिश्चय से इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाही या वादपद पर, समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः विचारण में कोई रुकावट न होगी।"

पूर्व न्याय का वर्जन

धारा 40 का संशोधन

24--मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"40--यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को कोई धनराशि देय हो, तो उसे वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 3 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय प्रतिकर से, यदि कोई हो, काटकर या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।"

धारा 44 का संशोधन

25--मूल अधिनियम की धारा 44 में--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।"

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

अनुसूची का संशोधन

26--मूल अधिनियम की अनुसूची में--

(क) भाग 1 में, द्वितीय स्तम्भ में--

(i) मद (क) के सामने, शब्द "अथवा देय मालगुजारी का अस्सी गुना, इसमें जो भी अधिक हो," निकाल दिये जायं और सदैव से निकाल गये समझे जायं;

(ii) मद (ख) के सामने, शब्द "प्रतिकर की धनराशि", जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय;

(iii) मद (ङ) के सामने, शब्द "प्रतिकर की धनराशि", जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय;

(ख) भाग-3 में--

(i) मद (क) में, शब्द "प्रतिकर", जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रख दिया जाय।

(ii) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दी जाय, अर्थात्:--

"(ख) धारा 3 के खण्ड (9) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार को देय राशि उस राशि का 7/8 भाग होगा जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो और शेष धनराशि संबद्ध सरकारी पट्टेदार को दी जायगी;"

(ग) भाग-4 में--

(i) मद (क) के नीचे टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्:--

"टिप्पणी--इमारत की राशि के अंतर्गत उस भूमि की राशि भी होगी जिस पर इमारत स्थित हो।"

(ii) मद (ग) में--

(1) उप मद (1) के नीचे की टिप्पणी निकाल दी जाय और सदैव से निकाली गई समझी जाय;

(2) उप मद (3) के सामने द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय:--

"ऐसे वृक्षों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना";

(3) उप मद (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण:--मद (ग) के प्रयोजनार्थ, किसी वृक्ष के सम्बन्ध में "औसत मूल्य" का तात्पर्य ऐसे वृक्ष से होने वाले बीस वर्ष के लाभ के अंकगणितीय औसत से है।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

27--(1) इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व यथा विद्यमान मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) से (7) के अधीन सभी कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, उपशमित हो जायेंगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, 1975

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 18, 1973

(2) यदि मूल अधिनियम के अधीन किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित करने का आदेश दिनांक 17 जनवरी, 1975 के पूर्व दिया गया हो और नियत प्राधिकारी से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण करने की अपेक्षा की जाय तो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, 17 जनवरी, 1975 को या उसके पश्चात् उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत और इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पूर्व विचाराधीन धारा 13 के अधीन प्रत्येक अपील या ऐसी अपील के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाहियां उपशमित हो जायेंगी।

(3) यदि इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने का आदेश दिया गया हो, तो नियत प्राधिकारी (जैसा कि मूल अधिनियम में परिभाषित है) इस अध्यादेश के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण कर सकता है, भले ही अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के मूल आदेश के विरुद्ध कोई अपील (चाहे विचाराधीन या विनिश्चित) हो।

(4) इस धारा की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के प्रत्येक आदेश के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 13 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, तीस दिन की अवधि की गणना ऐसे आदेश के दिनांक से या इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की जायगी।

(5) धारा 13-क के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि के प्रत्येक पुनः अवधारण पर लागू होंगे।

(6) जब कोई खातेदार 8 जून, 1973 के पूर्व मूल अधिनियम के, अनुसूची सहित अध्याय 3 के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वे इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थे, कोई प्रतिकर पा चुका है, वहां इस अध्यादेश के द्वारा संशोधित उक्त अध्याय या अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, किसी खातेदार पर राज्य सरकार को ऐसे किसी प्रतिकर के पूर्ण या अंश की वापसी का दायित्व नहीं होगा।